बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 159707   पटना, दिनांक 13/08/2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(वि0अभि0)-102-14/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत उपलब्ध निधि का शत् प्रतिशत राशि का उपयोग करने के साथ-साथ वर्ष 2013-14 का भौतिक लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध सुनिश्चित करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि जिलों में इंदिरा आवास योजना की राशि का शत् प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही यह निदेशित किया गया था कि जिलों में उपलब्ध राशि से वर्ष 2013-14 के लिए लाभुकों का चयन कर प्रथम किस्त की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाय । इस क्रम में दिनांक 08.06.13 तथा दिनांक 29.06.13 को प्रखण्ड स्तरीय शिविर का आयोजन करने का निदेश दिया गया था । उक्त दोनों शिविरों में निर्धारित लक्ष्य 6,05,550 के विरूद्ध मात्र 2,46,484 लाभुकों को सहायता राशि उपलब्ध करायी जा सकी ।

पूर्व के शिविरों में किये गये कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि कतिपय प्रखण्डों द्वारा उपलब्ध राशि में से 50% राशि का भी व्यय नहीं किया गया वहीं आवास सॉफ्ट के माध्यम से जेनरेटेड ऑर्डर शीट के अनुरूप सभी लाभुकों को शिविर में पासबुक हस्तगत नहीं कराया गया । दिनांक 12.08.13 को आवास सॉफ्ट पर जेनरेटेड ऑर्डर शीट की संख्या मात्र 2,80,274 प्रदर्शित हो रही है ।

आवास सॉफ्ट पर राशि के हस्तांतरण की अनिवार्यता को लेकर उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठकों तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समय-समय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई, किन्तु किसी भी जिला के द्वारा शत प्रतिशत उपलब्धि नहीं प्राप्त की गई । इस मामले में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा कर्तव्य के प्रति उदासीनता के साथ-साथ जिला स्तर से प्रभावी अनुश्रवण का अभाव परिलक्षित होता है जिसके कारण अवशेष लक्ष्य के लाभुकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु पुन: दिनांक 17.08.13 को प्रखण्ड स्तरीय शिविर आयोजन करने का निर्णय लेने के लिए विभाग को बाध्य होना पड़ा ।

अत: निदेश दिया जाता है कि दिनांक 17.08.2013 को आयोजित प्रखण्ड स्तरीय शिविर में हर हाल में लक्ष्य/राशि के अनुरूप आवास सॉफ्ट पर राशि हस्तांतरित करते हुए लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि की प्रविष्टि किया हुआ बैंक पासबुक हस्तगत करा दिये जाएँ । जिन जिलों में निधि रहते हुए भौतिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जायेगा उन जिलों के उप विकास आयुक्तों के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त पर्यवेक्षण का अभाव, प्रशासनिक असक्षमता के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा करने पर विचार किया जायेगा । जिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित नहीं की जायेगी उनके विरूद्ध कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के अभाव के लिए विभागीय कार्यवाही, निलंबन तथा मूल पद पर लौटाने की कार्रवाई की जायेगी ।

do

लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सीधे अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे तथा आवश्यक परामर्श प्राप्त करेंगे ।

विश्वासभाजन

12.8.13

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 159707 पटना, दिनांक 13/08/2013

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.8.13

सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 868.doc